अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

309/2024/2 28 नौरत / अजमेर विकास प्राधिकरण

तारीख	2024/309 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री पक्षकार उपस्थित श्री	
28/1/25	नौरत बनाम अजमेर विकास प्राधिकरण (2024/309) पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। हमने अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश तथा अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 02.11.2024 प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी किये जाने के आदेश प्रदान किया गया। मान्नीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने रिवीजन /एल/ 9867 /2012 / नागौर उनवान जगदीश प्रसाद बनाम भोपाल राम व अन्य निर्णय दिनांक 12.03.2014 की पालना में दिशा निर्देश जारी किये हैं। प्रस्तुत अहम न्यायिक प्रक्रिया के तहत् प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निश्चित समयावधि के तहत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण करने हेतु प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है क्योंकि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। अपील को इसी स्तर पर न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए अपील इसी स्तर पर निर्णित कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का 60 दिवस में निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर को निर्देशित करना उचित समझते है। **अतः अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर को निर्देशित किया जाता है कि वह उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण उभयपक्ष को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर देते गुणावगुण पर निस्तारण 60 दिवस में आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

Scanned with CamScanner